2006 की सिफारिशों की मुख्य-मुख्य बातें

पुस्तकालय

- पुस्तकालय पर एक राष्ट्रीय आयोग स्थापित करें।
- सभी पुस्तकालयों की एक राष्ट्रीय गणना तैयार करें।
- पुस्तकालय सूचना विज्ञान (एलआईएस) शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान सुविधाओं को चुस्त बनाएं।
- पुस्तकालयों की स्टाफ व्यवस्था का पुनः आकलन करें।
- एक केन्द्रीय पुस्तकालय निधि की स्थापना करें।
- पुस्तकालय प्रबंध का आधुनिकीकरण करें, पुस्तकालय प्रबंध में अपेक्षतया अधिक सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करें।
- सभी पुस्तकालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) अनुप्रयोगों को बढ़ावा दें।
- दान और निजी संग्रहों के रखरखाव को सुविधापूर्ण बनाएं।
- एलआईएस विकास में सरकारी–निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करें।

अनुवाद

- अनुवाद को एक उद्योग के रूप में विकसित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करें।
- भारतीय भाषाओं सहित अनुवाद के सभी पक्षों से संबंधित जानकारी का एक भंडार गृह स्थापित करें।
- अनुवाद अध्ययनों के एक मुद्रित और साथ ही वास्तविक प्रकाशन को बढ़ावा दें।
- अनुवाद के विभिन्न साधनों का सृजन करें और उन्हें बनाए रखें तथा मशीन अनुवाद को प्रोत्साहित करें।
- अनुवादकों के लिए उत्तम प्रशिक्षण और शिक्षा उपलब्ध कराएं।
- सभी स्तरों पर विशेष रूप से प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान में शिक्षाशास्त्रीय सामग्री का अनुवाद करें।
- उच्चस्तरीय अनुवाद के माध्यम से भारतीय भाषाओं में साहित्य को परिलक्षित करें।
- अनुवाद के संबंध में एक राष्ट्रीय वेब पोर्टल स्थापित करें।
- अनुवाद पर वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करें।
- पुस्तकों के विमोचन, उत्सव, अध्येतावृत्तियां और अनुवाद के लिए पुरस्कार प्रोत्साहित करें।
- इस प्रयोजन के लिए अनुवाद पर एक राष्ट्रीय आयोग स्थापित करें।

अंग्रेजी भाषा शिक्षण

- स्कूल में पहली कक्षा से ही प्रथम भाषा के साथ–साथ अंग्रेजी की शुरूआत करें।
- भाषा अधिगम और अध्यापन का शिक्षाशास्त्र संशोधित करें तथा व्याकरण और नियमों पर गैर–आनुपातिक बल में कमी लाएं।
- लगभग 40 लाख स्कूल अध्यापकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों अथवा अल्पकालीन पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करें भले ही वे किसी भी विषय के विशेषज्ञ हों।
- अंग्रेजी में उच्च दक्षता तथा उत्तम संचार कौशलों सहित तथा औपचारिक अध्यापक प्रशिक्षण अर्हताओं के बिना स्नातकों की भर्ती करें।
- कक्षा I से XII तक शिक्षाशास्त्रीय दृष्टि से उत्तम अंग्रेजी पाठ्यपुस्तकें तैयार करें।
- भाषा अधिगम अनिवार्यतः सामग्री अधिगम के साथ समेकित किया जाना चाहिए।
- सभी उपलब्ध मीडिया–श्रव्य दृश्य, मुद्रित आदि का प्रयोग करते हुए क्लासरूम के भीतर और बाहर भाषा अधिगम अवसरों का सृजन करें।

राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क

- संसाधनों के आदान–प्रदान और सहयोगात्मक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त क्षमताओं (100 एमबीपीएस या इससे उच्चतर न्यूनतम सुलभता गति) सहित इलेक्ट्रानिक डिजिटल ब्राडबैंड नेटवर्क के माध्यम से देश के भीतर सभी ज्ञान संस्थानों को परस्पर सहयोजित करें।
- इस प्रयोजन के लिए मौजूदा वाणिज्यिक नेटवर्कों सहित विभिन्न उपलब्ध विकल्पों का प्रयोग करें।
- नेटवर्क, इंटरनेट प्रोटोकाल (आईपी) तथा मल्टी–पैकेट लेबल सर्विसेज (एमपीएलएस) प्रौद्योगिकी पर आधारित होगा।
- रोजमर्रा के कार्यकरण की देखभाल प्रमुख हितधारकों सहित एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) द्वारा की जाएगी।
- निजता और गोपनीयता सहित डाटा की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
- शुरू में मौजूदा वाणिज्यिक नेटवर्कों का प्रयोग करने तथा अपेक्षतया कुछेक नोडों को केन्द्रीय कोर सहित हाईब्रिड नेटवर्क में तथा बाहरी नेटवर्क में अंतरित होने पर विचार करें।
- प्रयोक्ता संस्थानों को उच्च गति वाले स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क स्थापित करने के लिए एकबारगी पूंजीगत सहायता।

शिक्षा का अधिकार

- संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 21ए में की गई प्रतिबद्धता के तहत शिक्षा के अधिकार संबंधी कानून का प्रवर्तन अनिवार्यतः केन्द्र सरकार द्वारा किया जाना चाहिए।
- कानून में इस आशय का एक वित्तीय प्रावधान अवश्य शामिल होना चाहिए जिसमें शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त निधियों में से अधिकांश मुहैया कराने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार पर डाली गई हो।
- वाद–योग्यता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर सरकार की जिम्मेदारी स्वीकार की जानी चाहिए।
- कानून में शिक्षा का न्यूनतम स्तर निर्धारित करने के लिए मानदंडों और मानकों की एक सूची अवश्य शामिल होनी चाहिए।
- निवारण तंत्र की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त क्रियाविधियां अवश्य मौजूद होनी चाहिए।

उच्चतर शिक्षा

- और अधिक विश्वविद्यालयों का सृजन करें जिससे कि राष्ट्रव्यापी स्तर पर लगभग 1500 विश्वविद्यालय हो जाएं जिससे कि भारत 2015 तक कम से कम 15 प्रतिशत का सकल नामांकन अनुपात प्राप्त कर सके।
- उच्चतर शिक्षा के लिए एक स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण (आईआरएएचई) की स्थापना करें।
- सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करें और वित्तपोषण के साधनों का वैविध्यकरण करें।
- आधारिक–तंत्र के स्तरोन्नयन, वेतन विभेदों के लागू करने आदि जैसे उपायों के माध्यम से संवर्धित गुणवत्ता को बढ़ावा दें।
- अखिल भारतीय स्तर पर दाखिले की व्यवस्था सहित बहुविषयक्षेत्रीय आदर्शों के रूप में 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना करें।
- सु–वित्तपोषित छात्रवृत्तियों और सकारात्मक कार्रवाईयों के माध्यम से सभी होनहार छात्रों के लिए सुलभता सुनिश्चित करें।
- सकारात्मक कार्रवाई को वंचना के बहुआयामों की ओर ध्यान देना चाहिए।
- मौजूदा विश्वविद्यालयों में सुधार लाएं जिससे कि पाठ्यचर्या संशोधन सुनिश्चित हो सके, पाठ्यक्रम क्रेडिट प्रणाली लागू करें, आंतरिक आकलन की विश्वसनीयता बढ़ाएं, अनुसंधान, सुधार, अभिशासन आदि प्रोत्साहित करें।
- संबंधनप्राप्त अनु–स्नातक कालेजों की प्रणाली की पुनर्रचना करें।

व्यावसायिक शिक्षा

- मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली के भीतर वीईटी की नमनशीलता बढ़ाएं।
- व्यावसायिक शिक्षा के प्रभाव का परिमाणन और मानीटरन करें।
- व्यावसायिक शिक्षा के लिए संसाधन आबंटन में वृद्धि करें।
- नवाचारी आपूर्ति माडलों के माध्यम से क्षमता का विस्तार करें।
- असंगठित तथा अनौपचारिक क्षेत्र के लिए उपलब्ध प्रशिक्षण विकल्पों का संवर्द्धन करें।
- एक मजबूत विनियामक और प्रत्यायन तंत्र सुनिश्चित करें।
- समुचित प्रमाणन सुनिश्चित करें।
  एक पुनःब्रैंडिंग कार्रवाई हाथ में लें।

राष्ट्रीय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान प्रतिष्ठान

- एक राष्ट्रीय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान प्रतिष्ठान (एनएसएसएसएफ) स्थापित करें जो कि समूचे ज्ञान पर एक सीवनरहित सत्ता के रूप में दृष्टि डालेगा।
- यह प्रतिष्ठान ज्ञान के सृजन और प्रयोग में भारत को नेतृत्व देने, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जिंदगी बेहतर बनाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अधिकतम प्रयोग किया जाएगा तथा देश के भीतर वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए नीतिगत पहलें सुझाएगा।

ई–अधिकारिता

- सर्वप्रथम सरकारी प्रक्रियाओं का पुनर्निर्माण करें जिससे कि बुनियादी अधिकारिता प्रणाली को सादगी, पारदर्शिता, उत्पादकता और प्रभाविता में बदला जा सके।
- सामान्य मानक तैयार करें और ई–अधिकारिता के लिए सामान्य मंच/आधारिक–तंत्र तैनात करें।
- ऐसी 10–20 महत्वपूर्ण सेवाएं चुने जो कि महत्वपूर्ण अंतर पैदा करती हैं, उन्हें सरल बनाएं और वेब–आधारित सेवाओं पर उनकी पेशकश करें।
- सभी नए राष्ट्रीय कार्यक्रमों (जैसे कि भारत निर्माण, ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम आदि) की शुरूआत सु–निर्मित, ई–अधिकारिता कार्यान्वयन और वेब इंटरफेस के साथ करें।
- ऐसे तंत्रों सहित जो कि राष्ट्रीय ई–अधिकारिता योजना को संचालित करने के लिए मिशन मोड में कार्य कर सकते हैं, एक केन्द्रित संगठन की स्थापना करें।